

UPKR010005392026



**न्यायालय— सत्र न्यायाधीश, कासगंज**

पीठासीन अधिकारी—रामेश्वर (एच0जे0एस0)

I.D No-UP6537

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—303 / 2026**

- 1—बदलशेर उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र चमनशेर
- 2—दलशेर उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र चमनशेर
- 3—धर्मपाल उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र चन्दन सिंह  
निवासीगण ननाखेडा, थाना उझानी, जिला—बदायूँ।

**बनाम**

- 1— उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता “फौजदारी” कासगंज।
- 2— विनोद पुत्र अल्फत सिंह निवासी ग्राम रोशननगर थाना सहावर जिला कासगंज।

अपराध संख्या—560 / 2026

धारा—305ए,331(4),317(2) बी0एन0एस0

थाना—सहावर, जिला—कासगंज

**07.03.2026**

- 1— प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल की ओर से अपराध संख्या—560 / 2026, धारा—305ए,331(4),317(2) बी0एन0एस0, थाना—सहावर, जिला—कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2— जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण की ओर से सहायक लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता “दाण्डिक” को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।
- 3— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा विनोद द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम रोशननगर थाना सहावर जिला कासगंज का निवासी है। दिनांक 5.12.2025 की रात्रि में समय करीब 12:30—1:00 बजे किन्ही अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में घुस कर बक्से में रखे रूपये 60000 व जेवर चोरी कर लिये, उसे जब ज्ञात हुआ तो उसने गांव में लोगों को रात में ही बताया और 112 पर पुलिस को सूचना दी। तभी उसके गाँव के विजय सिंह पुत्र छोटे सिंह ने बताया कि उसके घर में भी दीवार फांद कर चोरों ने घर के कमरे में दाल के डब्बे में रखे पशु बिक्र के पैसे चोरी कर ले हैं। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

4- अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क यह लिये गये हैं कि मुकदमा उपरोक्त में उनको गलत एवं झूठा फंसाया गया है, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। कथित प्राथमिकी से स्पष्ट है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण नामजद एफ.आई.आर. नहीं है। कथित घटना की प्राथमिकी दिनांक 06.12.2026 को समय करीब 18:40 यानी 6.40 शाम को लिखाई गई है जब कि विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो घटना की संदिग्धता को जाहिर करता है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्तगण को पुलिस थाना सहावर द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से दि० 24.01.2026 की गिरफ्तारी में उनके बयान 180 बी.एन.एस एवं फर्ड बरामदगी के आधार पर फर्जी तरीके से संलिप्त किया है जो विल्कुल अविश्वसनीय तथ्य है तथा फर्जी है। वास्तविकता कि पुलिस थाना सहावर द्वारा आवेदकगण को घर से बुलाकर फर्जी तरीके से बन्द किया है। उन पर आरोपित अपराध प्रथम वर्गीय मजि० द्वारा विचारणीय है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस थाना सहावर द्वारा दिनांक 24.01.2026 की गिरफ्तारी करके सभी अज्ञात मामले में उनकी संलिप्तता दर्शाकर फर्जी आपराधिक इतिहास तैयार किया है। जो विल्कुल फर्जी है। वे गरीब व्यक्ति है। परिवार में अन्य कोई व्यक्ति उनके परिवार की देखरेख करने वाला नहीं है तथा अपनी जमानत देने को तत्पर है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण ने रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुस कर सोने चांदी के जेबरात व रूपये चोरी कर लिये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6- पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करायी गयी थी। फर्ड बरामदगी में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण व सहअभियुक्त को घटना के लगभग दो माह बाद दिनांक 23.01.2026 को गिरफ्तार किया जाना तथा प्रार्थी/अभियुक्त बदलशेर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किये जाने वाला उपकरण सबल आदि व 10,700/-रूपये, दलशेर से 9,200/-रूपये व धर्मपाल के कब्जे से 9400/-रूपये बरामद होना तथा जुर्म इकबाल के आधार पर उक्त मामले में संलिप्त किया जाना दर्शित किया गया है। किन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 24.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। जहाँ तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्तगण बदलशेर व दलशेर का सात-सात मुकदमों का एवं धर्मपाल के 10 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी/अभियुक्तगण की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

7- अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

### **आदेश**

अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुब० 75,000/- (पचहत्तर

हजार) रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये –

- 1– दौरान विवेचना किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और विवेचना में सहायता प्रदान करेंगे।
- 2– आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की दशा में आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
- 3– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वे किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

उक्त शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा